Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XV, Issue No. 1, April-2018, ISSN 2230-7540

गाँधीजी के सानिध्य में वर्धा शिक्षा सम्मेलन का प्रारूप, क्रियान्वयन, विशेषता और उसका महत्व

Gaurav Suman[1]* Dr. Ramakant Sharma[2]

[1] Research Scholar

[2] Research Supervisor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

सारांश:- ***वर्धा शिक्षा योजना में सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास और ठोस चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया था। लेकिन व्यक्तित्व के विकास के लिए कताई, बुनाई एवं हस्तकला के माध्यम से जीविकोपार्जन करना ही एक मात्र उपाय नहीं है, हस्तकला केन्द्रिय शिक्षा योजना में उत्पादन एवं जीविकोपार्जन पर विशेष बल दिया गया है। ठोस चरित्र निर्माण के लिए जो मूल बाते होती हैं जैसे बल्कि शिक्षा तथा कहने के माध्यम से चारित्रिक गुणों की स्थापना नाटकों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान पर वर्धा शिक्षा योजना में कम बल दिया गया था। गाँधीजी हमेशा शिक्षा और कर्म को एक साथ जोड़कर देखना चाहते थे और समाज के साथ संस्कार की उन्नति पर भी जोर देते थे। वे ऐसा मानते थे कि चूँकि मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में एक उच्चतर प्राणी है और पशु से भिन्न कोटि का प्राणी है। अतः उसकी आवश्यकताएँ और जरूरतें केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित नहीं होती। अतः एक बौद्धिक और कार्यशील प्राणी होने के नाते उसे अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास करने का पूर्ण अधिकार है और इसके लिए उसे सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत है।***

शब्द संकेत:- ***वर्धा शिक्षा सम्मेलन, प्रारूप, क्रियान्वयन, विशेषता और उसका महत्व***

----------X----------

भूमिका:-

वर्धा में वर्धा शिक्षा मण्डल नाम की एक संस्था कार्यरत थी, जिसके रजत जसंती समारोह के अवसर पर मण्डल के मंत्री श्रीममनारायण जी ने गाँधीजी से प्रार्थना किया कि शिक्षाशास्त्रियों की बैठक बुलाई जाय जिसमें आप नई शिक्षा पद्धति के बारे में अपना विचार दें। गाँधीजी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 22-24 अक्टूबर 1937 को एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में आचार्य विनोबाजी श्री काका साहेब कालेलकर, डॉ. जाकिर हुसैन, प्रो. टी. के साह, डॉ. सैयद महसूद, डॉ. भागवत् आचार्य प्रफुल्लचन्द राय, श्री आर्यनायकम, श्रीमती आशा देवी, श्री रविशंकर शुक्ल आदि शिक्षाविदों और काँग्रेसी प्रान्तों के शिक्षा मंत्रियों और अन्य विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया था। कुल 90 व्यक्ति उपस्थित हुये, लिके सम्मुख गाँधीजी ने अध्यक्ष पद से अपनी शिक्षा सम्बन्धी विचार व्यक्ति किया "मुझे आप के सामने दो बातें रखनी है। एक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में और दूसरी उच्च शिक्षा। मै इस ख्याल का हूँ कि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शिक्षाओं को मिला दिया जाय। इसलिए अब हमने जो कुछ बनाया है, या बनाने जा रहे हैं, वह शहरों के लिए नहीं बल्कि पूरा-पूरा गाँवों के लिए है।"

वर्धा शिक्षा योजना:

वर्धा शिक्षा योजना केवल शिक्षा पद्धति ही नहीं है, वह उससे कुछ ज्यादा है। महात्मा गाँधी की दृष्टि से शिक्षा का सच्चा अर्थ मनुष्य के शरीर मन व आत्मा का सर्वांगीण विकास है। वे शिक्षा का चरम लक्ष्य, व्यक्ति का आत्मोत्थान मानते थे। उनके विचार में शिक्षा चरित्र निर्माण में सहायक होनी चाहिए। गाँधीजी ने जनसाधारण के सांस्कृतिक जागरण के लिए बुनियादी तालीम अथवा वर्धा शिक्षा योजना की नींव डाली। उनका मत था, कि असली शिक्षा तो तभी आ सकती है, जबकि शरीर के अवयवों हाथ, कान, नाक आदि से डटकर काम लिया जाए। वर्धा शिक्षा योजना में, इस शिक्षा का अच्छी तरह से समावेश किया गया है। वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से गाँधीजी बच्चों में आत्मनिर्भरता पैदा करना चाहते थे। सह शिक्षा योजना, केवल एक शिक्षा पद्धति न होकर, राष्ट्र के सम्पूर्ण प्रश्नों को हल करने का एक माध्यम

www.ignited.in

है। वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से, गाँधीजी देश की प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, दुराचार आदि को समाप्त करना चाहते थे।

वर्धा शिक्षा प्रारूपः-

22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में 'मारवाड़ी शिक्षा मण्डल' की रजत जयन्ती मनाई जाने वाली थी। श्री ममनारायण अग्रवाल इसके आयोजक थे। गांधी जी ने उन्हें इस अवसर पर एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन का सुझाव दिया, अग्रवाल साहब ने इस अवसर पर भारत के सातों कांग्रेस मंत्रीमण्डलों के शिक्षा मंत्रियों और देश के चोटी के शिक्षा शास्त्रियों, विचारकों और राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन का सभापतित्व स्वयं गांधी जी ने किया था। सभापति पद से बोलते हुए गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचार प्रस्तुत किये। उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को अपव्ययपूर्ण और हानिप्रद बताया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सात मूलभूत बातें कही-पहली यह कि देश में 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। दूसरी यह कि यह शिक्षा सभी के लिए समान हो। तीसरी यह कि यह शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। चौथी यह कि इसमें भाषा गणित आदि की शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, भोजन के नियम और माता-पिता के कार्यों में हाथ बंटाने की शिक्षा दी जाये। पांचवी यह कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। छठीं यह कि इसमें कृषि और भारतीय हस्तकौशलों की शिक्षा दी जाये और सावती यह कि समस्त शिक्षा हस्त कौशलों के माध्यम से दी जाये और शिक्षा को स्वावलम्बी बनाया जाये। उन्होंने इस बात पर भी बहुत बल दिया कि स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्यय निकलना चाहिए और इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद बच्चे अपनी जीविका कमाने योग्य होने चाहिए। गाँधी के इन विचारों पर खुलकर चर्चा हुई और अन्त में निम्न प्रस्ताव पारित हुए-

इस शिक्षा योजना को, भारत के लिए गाँधीजी की सबसे अमूल्य भेंट कहा जा सकता है। 31 जुलाई 1937 को गाँधीजी ने हरिजन में, स्वयं लिखा था - "शिक्षा से मेरा तात्पर्य है, बच्चों या मनुष्य की तमाम शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिय शक्तियों का सर्वोन्मुखी विकास है।" वे अक्षर ज्ञान को, न तो शिक्षा का आरम्भ मानते थे, व न ही अंतिम लक्ष्य। वह तो अनेकों विचारों के आधार पर अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय सेवकों के सम्मेलन में जिसके गाँधीजी अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बंध में चार प्रस्ताव स्वीकार किए गए, जिन्हें बुनियादी शिक्षा का मुख्य अंग कहा जा सकता है। ये अंग निम्न प्रकार थे:-

- सप्तवर्षीय निःशुल्क एवं अनिवार्य शुक्षा।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा।
- उद्योग के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था।
- स्वावलम्बन पर आधारित शिक्षा।

इन प्रस्तावों के आधार पर डॉ. जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में शिक्षा विशेषज्ञों सत्यदेव, विनोबा भावे, काका कालेलकर, आशा देवी आदि की एक कमेटी बनाई गई। 2 दिसम्बर 1937 को जाकिर हुसैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके पहले भाग में, वर्धा योजना के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हुए उसे शैक्षणिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया। दूसरे भाग में उद्योग व विभिन्न विषयों के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया। तीसरे भाग में शिक्षकों के शिक्षण के विषय में सम्बंधित बातों को शामिल किया गया। चौथे भाग में निरीक्षण एवं परीक्षण से सम्बंधित बातों का उल्लेख है। पांचवे भाग में प्रबंध आदि के, विषय में वर्णन है। अन्त में सब विषयों का क्रम दिया गया है। इस रिपोर्ट में जिस पद्धति को मान्यता दी गई है, वहीं बुनियादी शिक्षा के नाम से विख्यात है। यह रिपोर्ट वर्धा योजना का व्यावहारिक पहलू थी।

इस पद्धति से विद्यार्थी, स्वावलम्बी बन सके, अर्थात् शिक्षण के साथ धन-अर्जन कर सके। इस शिक्षा पद्धति से गाँधीजी विद्यार्थी के मन में, कार्य के प्रति प्रेम व शारीरिक श्रम की प्रवृति को प्रोत्साहित करना चाहते थे। इसके साथ ही समाज के परम्परागत पेशों को जीवित रखने में मदद मिलेगी, और समाज की अपनी आवश्यकता की अधिकांश वस्तुऐं स्वयं बनाई गई, वस्तुओं से ही प्राप्त हो सकेगी। गाँधीजी की यह शिक्षा योजना, व्यक्ति व समाज दोनों के विकास का माध्यम व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मार्ग है। उन्हीं के शब्दों में मेरी शिक्षा योजना एक शान्त सामाजिक क्रांति का माध्यम बनेगी, यह गाँवों एवं शहरों के मध्य संबंधों को एक स्वस्थ एवं नैतिक आधार प्रदान करेगी, और एक अधिक न्यायनिष्ठ सामाजिक व्यवस्था की नींव डालेगी, जिसमें कि सम्पन्नों एवं विपन्नों के रूप में समाज का विभाजन नहीं होगा।" प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्वाह के न्यूनतम साधन उपलब्ध होगें, और स्वतंत्रता प्राप्त होगी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्रांति को रचनात्मक माध्यम से पूर्ण किया जाएगा, इसमें न तो रक्तपात की आवश्यकता होगी, और न ही भारी भरकम निवेश की। इसके लिए भारत जैसे बड़े देश का मशीनीकरण नहीं करना पड़ेगा और न ही तकनीकी कौशल और मशीन के लिए विदेशी आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा, कि भारत की जनता में उस आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करेगी

जिसके द्वारा, उसका भविष्य स्वयं उसके हाथों में रहेगा। गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित व संचालित किया गया, कि वह शिक्षा विद्यार्थियों के हृदय, बुद्धि एवं शरीर तीनों के समग्र विकास का माध्यम बने।

व्यवहारिक शिक्षा पर बल:-

जहाँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, पुस्तकों को तथा साहित्य को, बहुत महत्व दिया जाता है, वहीं गाँधीजी ने व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। हस्तकौशल द्वारा मस्तिष्क का विकास किया जाता है, इसमें कलाएँ वैज्ञानिक रूप से सीखायी जाती है, यन्त्रवत नहीं। कला और शिल्प द्वारा, बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सभी विषयों को समन्वय के आधार पर पढ़ाया जाता है। इस योजना में पाठ्य विषय और पाठ्यक्रम ऊपर से लादे नहीं जाते, अपितु अध्यापकों के अनुभवों के आधार पर, तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए, कोई न कोई एक हस्तकला अवश्य ही आनी चाहिए, जैसे - तकली चलाना, कपडा बुनना, सूत कातना या कोई क्राफ्ट शिक्षा का केन्द्र बनाकर अन्य विषय उसी से सम्बंधित कर दिए जाते हैं, जैसे - वस्त्र बुनने के साथ रूई उत्पन्न करने वाले प्रदेशों का भूगोल, वस्त्रों का इतिहास, रूई के पेड़-फूल आदि के चित्र बनाना, आदि अनेक विषय साथ-साथ सीखाये जाते हैं। वस्त्र बुनना, रँगना, डिजाइन करना आदि भी साथ-साथ सीखाये जाते हैं, ताकि 7 वर्ष बाद बालक उसी कार्य में निपुण हो सके। क्राफ्ट क्षेत्रानुसार चयन किय जाता है, व गाँव में गुड़ या गन्ने सम्बंधी शिक्षा, लकड़ी की सामग्री बनाना, चटाई बुनना, बढ़ई, लुहार के कार्य की शिक्षा इत्यादि, ऐसी शिक्षा भारत जैसे देश के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह स्वावलम्बन पर आधारित है। प्राइमरी शिक्षा में (6-11 वर्ष तक) स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, न्यूटरिशन, निजी कार्य करना, ड्रिल, घर पर माता-पिता की सहायता इत्यादि विषय भी शामिल हैं, जो जीवन के व्यवहारिक पक्ष से सम्बंधित है, जिसे कुछ परिवर्तन फलस्वरूप, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में समाहित भी हैं।

शिल्प शिक्षा प्रत्येक कामगार के व्यक्तित्व को, कायम ही नहीं रखेगी बल्कि सहयोग और टीम भावना का विकास करेगी। अतः गाँधीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए। इसी क्रम में गाँधीजी ने 1908 ई. में टालस्टाय आश्रम की स्थापना कर, शिक्षा पर पुनः प्रयोग किया। गाँधीजी ने आश्रम में शिक्षा के तहत, हृदय की शिक्षा पर पुनः प्रयोग किया। गाँधीजी ने आश्रम में शिक्षा के तहत, हृदय की शिक्षा अर्थात् चरित्र के विकास को सदैव प्रथम स्थान पर रखा। आश्रम में मुख्य शिक्षा सिद्धान्त रहे -

- शिक्षा शारीरिक श्रम पर आधारित होनी चाहिए।
- आश्रम में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था। आश्रम में पाखाने की गेहूँ में खुदाई का काम, पेड़ काटने का काम, बोझा ढोने का काम, बच्चों के द्वारा किया जाता था।
- गाँधीजी ने शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक पेशे को सम्मिलित किया। शारीरिक पेशे से तात्पर्य ऐसा उत्पादन कार्य, जिसमें शरीर का श्रम हो, अर्थात सबको कोई एक उपयोगी धन्धा सीखना।

1937 में वर्धा में, महात्मा गाँधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें वर्धा शिक्षा योजना का उद्भव हुआ, जिसे नयी तालीम, आधारभूत शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा उनके दर्शन पर आधारित थी। वर्धा शिक्षा योजना की मुख्य सिफारिशें थी -

- भारत वर्ष में 7 वर्ष तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए।
- शिक्षा का माध्यम उस क्षेत्र की मातृभाषा हो।
- गाँधीजी ने इस सात वर्षों की शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा को शामिल करते हुए, यह तय किया गया, कि हस्तकला में कताई, बुनाई, बढ़ईगिरी, कृषि कार्य, बागवानी, चमड़े का कार्य तथा अन्य हस्तसम्बंधी कार्य शामिल हो।
- जहाँ तक हो, किताबी पाठ्यक्रम को दूर रखा जाए।
- भौतिक परीक्षाओं को खत्म कर, छात्रों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों से ही, उनके विकास का आंकलन किया जाए।
- स्वच्छता, साफ-सफाई, खेलकूद व मनोरंजन नई तालीम के मूल अंग हो।

यद्यपि गाँधीजी बुनियादी शिक्षा के पक्षधर थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी शिक्षा व अन्य संस्कृतियों से घृणा नहीं थी। अतः गाँधीजी ऐसी शिक्षा के समर्थक थे, जिसे प्राप्त कर छात्र स्वावलम्बी बन सकें, और उसे जीविकोपार्जन की कोई समस्या नहीं रहे। गाँधीजी का मानना था, कि कताई और बुनाई जैसे ग्रामीण उद्योगों के आधार पर, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की मेरी योजना अत्यधिक महत्वपूर्ण परिणाम वाली, शान्त सामाजिक क्रांति को जन्म देगी। यह गाँवो के तेजी से होने वाले पतन को रोकेगी, और एक ऐसी न्यायपूर्ण

www.ignited.in

सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगी, जिसमें धनी और निर्धन के बीच कृत्रिम भेद नहीं होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का, एवं स्वतंत्रतापूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त होगा।

समय-सारणी एवं समन्वय की योजना

वर्धा शिक्षा योजना में अध्यापन की समय-सारणी 5.30 घंटों में सीमित है। यह समय सारणी इस प्रकार है- केन्द्रीय हस्तकला के लिए 3 घंटे 20 मिनट, संगीत, चित्रकला, गणित के लिए 40 मिनट, मातृभाषा के लिए 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए 30 मिनट, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए 10 मिनट, मध्यावकाश के लिए 30 मिनट निर्धारित किए गए थे।

शिक्षा में समन्वय को क्रियान्वित करने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। ये निम्नवत है-

1. योजना बनाना-अध्यापक और विद्यार्थियों को मिलकर कक्षा के अनुसार पूरे वर्ष की शिक्षा की योजना बना लेनी चाहिए और उसे त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक कार्यों में विभाजित कर देना चाहिए।

2. उपकरणों की व्यवस्था-योजना बना लेने के पश्चात उसके लिए आवश्यक उपकरण जैसे-मूल हस्तकौशल के लिए आवश्यक कच्चा माल और यंत्र आदि जुटाये जाने चाहिए।

3. कार्यान्वित करना-अब योजना को कार्यान्वित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए कि योजना में जितने काल में जितना कार्य निश्चित किया गया है यह समय के अनुसार पूरा किया जाये।

4. मूल्यांकन-कार्य के पश्चात् उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह मूल्यांकन मासिक या त्रैमासिक हो सकता है। इससे जहां कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के उपाय सोचे जा सकते हैं वहां शारीरिक प्रगति का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

5. अनुभवों को नोट करना-अन्त में कार्य से प्राप्त अनुभवों को नोट किया जाना चाहिए। इससे भविष्य में कठिनाइयों को सुलझाने में सहायता मिलती है।

इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा में समन्वय का व्यवहारिक रूप देने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

- अनुभवी और कुशल अध्यापकों की व्यवस्था
- वातावरण के अनुकूल उपयुक्त हस्तकौशल का चुनाव
- स्वाभाविक रूप से समन्वय
- बालकों की प्राकृतिक शक्तियों के अनुरूप समन्वय
- सूक्ष्य विषयों के ज्ञान देने में समन्वय प्रणाली का प्रयोग
- अध्यापकों को समन्वय प्रणाली के प्रयोग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- उपरोक्त बातों की व्यवस्था हो जाने पर ही शिक्षा में समन्वय प्रणाली को लागू करके उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

वर्धा शिक्षा योजना का क्रियान्वयन:-

वर्धा शिक्षा योजना की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद कुछ लोगों ने इसे पूर्णतः स्वीकार कर लिया, कुछ लोगों ने इसकी त्रुटियों पर इषारे करते हुए आलोचना की थी। वर्धा योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम थे उनमें बच्चों के मनोविज्ञान के अध्ययन पर कम बल दिया गया था। बालक या बालिका जो विशेषकर सात से चौदह साल के हो उनमें निश्चय ही जिज्ञासा की प्रवृति अधिक होती है साथ ही उसमें चंचलता, बाल-सुलभ चंचलता और स्वतंत्रता की भावना तीव्र रूप में रहती है। अतः बालकों के मनोमस्तिष्क का अध्ययन एवं हस्तकला आदि की ओर मोड़ने के लिए बाल सुलभ योजना बनाने की जरूरत थी ताकि बच्चे हस्तकला शिक्षण-प्रशिक्षण एवं आयोग एवं कृषि आदि को एक बार के रद्द में न ग्रहण करे। बच्चों के मस्तिष्क में वह बात न बैठे कि यह जीविकोपार्जन का मशीन बनाया जा रहा है। जरूरत थी कि इस योजना में सामूहिक खेलकूद को सामूहिक शिक्षण-प्रशिक्षण का आधार बनाया जाता अर्थात् खेलकूद के माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण दिया जाता। दूसरी बात, इस प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में बालकों की रूचि एवं योग्यता के अनुकूल कार्य न देकर सबके लिए समान कार्य भी रूचि पैदा करने वाला था। यदि बालक-बालिकाओं के मनोविज्ञान जाँच पड़ताल एवं रूचि विशेष की प्रशिक्षण कर शिक्षा की व्यवस्था, की जाती तो संभव था कि बुनियादी शिक्षा योजना को पूर्ण सफलता मिलती। बालकों की क्षमता होती है, लेकिन इस क्षमता का विकास हम भय, दमन या घंटों की समय सारणी में बाँधकर पूरा नहीं कर सकते। वर्धा शिक्षा योजना में इस बात की कमी खटकती है।

वर्धा शिक्षा योजना में सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास और ठोस चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया था। लेकिन व्यक्तित्व के विकास के लिए कताई, बनाई एवं हस्तकला के माध्यम से जीविकोपार्जन करना ही एक मात्र उपाय नहीं है, हस्तकला केन्द्रिय शिक्षा योजना में उत्पादन एवं जीविकोपार्जन पर विशेष बल दिया गया है। ठोस चरित्र निर्माण के लिए जो मूल बातें होती हैं जैसे बल्कि शिक्षा तथा कहने के माध्यम से चारित्रिक गुणों की स्थापना नाटकों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान पर वर्धा शिक्षा योजना में कम बल दिया गया था। परिणामतः बच्चों के संवेगात्मक भावनाओं की रक्षा के कारण उनमें ठोस चरित्र निर्माण की बात व्यावहारिक जीवन में खड़ी नहीं उतर सकी। चरखा शिक्षा तथा कताई-बुनाई में लगा बालक दमन का भी शिकार होता गया और उसके संवेग अथवा संवेदनशीलता कमजोर पड़ गई। गाँधीजी ने बुनियादी शिक्षा योजना के अन्तर्गत जिस सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की बात की थी वह हस्तकला केन्द्रिय शिक्षा योजना के तहत शिक्षा के अभाव में पूरी न हो सकी। कारण कि बच्चों में भावात्मक एकता के स्पर्धा और प्रतियोगिता की भावना विकासित कर गई जिसके कारण व्यक्तिवादिता एवं स्वार्थवादिता प्रवृति तीव्र हो गई। इस योजना में इस कमी को पूरा करने के लिए धार्मिक शिक्षा की जरूरत थी। लोगों ने स्वयं भी इस कमी को स्वीकार किया था। "नीति रूपी बीज को जब तक धर्म रूपी जल का साथ नहीं मिलता तब तक उसमें अंकूर नहीं फूटता। पानी के बिना वह बीज सूखा ही रहता है और अगर अरसे तक पानी न पाए तो नष्ट भी हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा लिया कि सच्ची नीति में सच्चे धर्म का समावेश होना चाहिए। इसी बात को दूसरी रीति में यों कह सकते हैं कि धर्म के बिना नीति का पालन नहीं किया जा सकता, यानी नीति का आचरण धर्म के रूप में इतना चाहिए।"

वर्धा शिक्षा योजना की विशेषताऐं -

- गाँधीजी की वर्धा शिक्षा योजना में, बालक और बालिकाओं को पूर्णतया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाये।
- गाँधीजी की शिक्षा योजना में, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। अलग-अलग प्रान्तों में दी जाने वाली शिक्षा, प्रान्तीय भाषा में न होकर एक मातृभाषा के रूप में ही होनी चाहिए।
- वर्धा शिक्षा योजनायें एवं बेसिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की ही हो।
- चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर, छात्र को अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलम्बी बनाया जाए।
- शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के पाठ्यक्रम में, ने तो अंग्रेजी और न ही, धर्म की शिक्षा देनी चाहिए।
- शिक्षण संस्थान में शारीरिक श्रम को भी महत्व दिया जाये, ताकि सीखे हुए शिल्पों के द्वारा जीविकोपार्जन कर सके।
- शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों और हस्तशिल्पी व व्यवसाय घनिष्ठता से, एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए।
- पाठशालाओं में छात्र-छात्राओं द्वारा बनाई गई वस्तुऐं, जिनका प्रयोग कर सके, और बाकी बची हुई को, बेचकर पाठशाला के ऊपर कुछ व्यय कर सकें।
- शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम समान रखा जाना चाहिए।
- छठवीं और सातवीं कक्षाओं में बालिकाऐं, आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं।

वर्धा शिक्षा योजना का महत्व

गाँधीजी हमेशा ही स्वावलंबन पर जोर देते रहे। स्वावलंबन का यह रास्ता, विभिन्न तरह के कौशलों से होकर गुजरता है। गाँधीजी न केवल अपने अनुयायियों को, इन कौशल में निपुण करने की कोशिश करते रहे, और प्रेरणा देते रहे, बल्कि सरकारी स्तर पर भी शिक्षा के मूल तत्वों में, इनके समावेश के लिए बार बार आवाज उठाते रहे। साथ ही वह साहित्यिक ज्ञान के साथ-साथ, औद्योगिक शिक्षा की लगातार वकालत करते रहे। वर्तमान कौशल विकास योजना, गाँधीजी के औद्योगिक शिक्षा को, आत्मसात् करने की धारणा, साकार करती मालूम पड़ती है। अगर वर्तमान में गाँधीजी की शिक्षा दृष्टि कौशल विकास के ध्येय के साथ, समन्वय बिठा सके तो, शायद समतामूलक समाज का मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो सकेगा। गाँधीजी की शिक्षा की अवधारणा है, कि बच्चों और इंसानों के शरीर मन और आत्मा के, सर्वोत्तम की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा गाँधी मानते थे, कि सच्ची शिक्षा वह है, जो बच्चों के आध्यात्मिक बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती हो, और प्रेरित करती हो।

www.ignited.in

गाँधीजी ने शिक्षा के व्यावसायिक पक्ष पर काफी जोर दिया, जिसे लागू करने का प्रयास, आज के पाठ्यक्रम निर्माता भी कर रहे हैं। बचपन के बारे में, उनके सरोकार का केन्द्र, बच्चों का मूल स्वभाव था, कि वह कैसे सीखते है, और उसकी बुनियादी आवष्यकताएँ क्या हैं ? यह सभी मिलकर, आज की समसामयिक बाल केंन्द्रित शिक्षा का निर्माण करते हैं।

गाँधीजी ने अपनी वर्धा शिक्षा योजना के लिए, बनी हुई तालीम नीति में स्वास्थ्य शिक्षा तथा शारीरिक श्रम को, शिक्षा के साथ-साथ अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना। फीनिक्स आश्रम, टॉलटॉय आश्रम आदि में रहने के दौरान, अध्ययन के साथ-साथ, खाना बनाना, खेती करना, सूत कातना, खाना बनाने से लेकर, पखाना साफ करने तक के सारे कार्य, स्वयं किया करते थे। इसी नीति का पालन करते हुए, वर्तमान सरकार ने स्कूल तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में, एन.एस.एस., स्काउट, एन.सी.सी. वाई.डी.सी. जैसी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों को महत्व दिया जा रहा है। एन.एस.एस. के माध्यम से बच्चे को सालभर कम से कम, 120 घण्टे श्रमदान करना आवश्यक है। मानवमात्र तथा समाज सेवा के भाव, जागृत करने के लिए, विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र से, रू-ब-रू करवाया जाता है। एन.सी.सी. के माध्यम से बच्चे के अन्दर नियमबद्धता तथा अनुशासन के दायरे में, रहना सीखाया जाता है।

गाँधीजी के द्वारा दिए गए शिक्षा का सिद्धान्त, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आज भी बालकों तथा बालिकाओं, विद्यालय तथा समाज के लिए उतने ही आवश्यक है, जितने पहले उनकी महत्वपूर्ण कृति वर्धा शिक्षा योजना को। चाहे वे शहर के हो, अथवा गाँव के समस्त सर्वोदय एवं स्थाई बातों से, सम्बंध रखती है एवं बालक को स्वावलम्बी बनाने में मददगार सिद्ध हुई है। उनकी शिक्षा केवल, मानसिक विकास की ओर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि शारीरिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, के लिए भी उपयोगी हुई है।

निष्कर्ष:-

गाँधीजी हमेशा शिक्षा और कर्म को एक साथ जोड़कर देखना चाहते थे और समाज के साथ संस्कार की उन्नति पर भी जोर देते थे। वे ऐसा मानते थे कि चूँकि मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में एक उच्चतर प्राणी है और पशु से भिन्न कोटि का प्राणी है। अतः उसकी आवश्यकताएँ और जरूरतें केवल शारीरिक स्तर तक ही सीमित नहीं होती। अतः एक बौद्धिक और कार्यशील प्राणी होने के नाते उसे अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास करने का पूर्ण अधिकार है और इसके लिए उसे सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत है। वर्धा शिक्षा योजना में सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास और ठोस चरित्र के निर्माण पर विशेष बल दिया था। लेकिन व्यक्तित्व के विकास के लिए कताई, बुनाई एवं हस्तकला के माध्यम से जीविकोपार्जन करना ही एक मात्र उपाय नहीं है, हस्तकला केन्द्रिय शिक्षा योजना में उत्पादन एवं जीविकोपार्जन पर विशेष बल दिया गया है। यही कारण है कि गाँधीजी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में उपयुक्त आवश्यक तथ्यों का नियोजन इसके प्रारूप में किया और उसके क्रियान्वयन पर बल दिया।

सन्दर्भ

1. महात्मा गाँधी -सम्पूर्ण गाँधी वाड्मय (भाग1-72) प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. कालेलकर-काका सत्याग्रह विचार और युद्ध नीति, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी संस्करण-प्रथम, 1965
3. कुमारप्पा, जे. सी. - स्थायी समाज व्यवस्था, अ. भा. सर्वसेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, 1960
4. कुमारप्पा, जे. सी.-महात्मा गाँधी जीवन और चिन्तन, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, सितम्बर, 19
5. गाँधी, मो. क. -मेरा समाजवाद, नव जीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद-14, संस्करण-प्रथम, 1959

Corresponding Author

Gaurav Suman*

Research Scholar